20/12/22

वकील अपीलांट उपस्थित। प्रकरण की आदेशिकाओ के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण मे रेस्पो. ~~अ~~ के सम्मन पेश करने बाबत अपीलांट अधिवक्ता को आदेशिका दिनांक 14/11/2018 से रेस्पो. के सम्मन पेश करने हेतु बार-बार निर्देशित किया गया है। किन्तु अपीलांट अधिवक्ता द्वारा आदिनांक तक रेस्पो. के सम्मन पेश नहीं किये गये है। जो न्यायालय के आदेशो की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अत: उक्त अपील अदम तकमील (NON COMPLINCE) मे खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली